बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर

कार्यपरिषद

की अष्टम बैठक

दिनांक 21-01-2013 के कार्यवृत्त

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA JAGDALPUR
[A State University]
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-229037, Fax 07782-229226, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक 4307 / ब.वि.वि. / 2013

जगदलपुर, दिनांक 17 / 01 / 2013

बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर, छत्तीसगढ़ के कार्य परिषद की अष्टम बैठक दिनांक 21 / 01 / 2013 हेतु विषय सूची (एजेण्डा)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 24)

बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर (छ.ग.) के प्रथम दीक्षांत समारोह माह फरवरी 2013 में प्रस्तावित है। दीक्षांत समारोह के संबंध में अति आवश्यक विषयों पर निर्णय एवं चर्चा हेतु कार्य परिषद की अष्टम बैठक दिनांक 21 / 01 / 2013 को आहूत की जा रही है। बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा एवं निर्णय लिया जाना है:–

विषय क्र.01 विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की सप्तम बैठक **दिनांक 25.07.2012** के कार्यवृत्त की पुष्टि करना।

विषय क्र. 02 बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर (छ.ग.) के विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 05.01.2013 को संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गई एवं सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया गया। विद्या परिषद की स्थायी समिति द्वारा पारित निणर्यों का माननीय कार्यपरिषद के समक्ष पुनः अवलोकनार्थ / अनुमोदनार्थ तथा अन्य आवश्यक चर्चा एवं निर्णय हेतु सादर प्रस्तुतः–

बिन्दु क्र.01 प्रस्तावित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अपना प्रथम दीक्षान्त समारोह आयोजित करेगा प्रावधानानुसार जिसकी अध्यक्षता माननीय कुलाधिपति करेंगे । उनके सुझाव अनुसार इस कार्यक्रम में प्रोफेसर एस.के. ब्रम्हचारी, सचिव, विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार मुख्य अतिथि तथा माननीय डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन, अति विशिष्ट अतिथि, विभागीय मंत्री माननीय श्री रामविचार नेताम, उच्च शिक्षा मंत्री, छ.ग. शासन एवं बस्तर संभाग के मंत्री त्रय श्री केदार कश्यप, श्री विक्रम उसेन्डी, सुश्री लता उसेन्डी, सांसद, बस्तर श्री दिनेश कश्यप एवं सांसद, कांकेर तथा स्थानीय विधायक, जगदलपुर श्री संतोष बाफना विशिष्ट अतिथि होंगे । इसके अतिरिक्त, माननीय अध्यक्ष की अनुमति से एक अन्य गणमान्य महानुभाव को विशिष्ट अतिथि बनाया जाना प्रस्तावित है ।

निर्णयः– उपरोक्तानुसार प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित तथा एक अन्य गणमान्य महानुभाव को विशिष्ट अतिथि बनाने हेतु माननीय राज्यपाल महोदय अथवा माननीय मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन से चर्चा एवं प्राप्त निर्देशानुसार नाम प्रस्तावित किया जावे। निर्णय सर्वसम्मति से पारित।

बिन्दु क्र.05 राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों की तरह दीक्षान्त समारोह के दौरान उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र एवं सम्मानित अतिथिगण एवं अन्य गणमान्य जो गाउन, धारण करेंगे, उसे नियमानुसार किराया पर भाव–पत्र अथवा खुली निविदा के आधार पर उपयोग में लाया जाना प्रस्तावित है

निर्णयः– **उपरोक्तानुसार प्रस्ताव के संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि बस्तर विश्वविद्यालय में प्रथम बार दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है, इसलिये जो प्रथा में चल रहा है उसी के अनुरूप गाउन का निर्धारण किया जावे। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित।**

बिन्दु क्र.06 आयोजन के दौरान विश्वविद्यालय परिसर की साफ–सफाई घास उन्मूलन तथा भवन के रंग–रोगन हेतु नियमानुसार भाव–पत्र/खुली निविदा के माध्यम से कार्य निष्पादन प्रस्तावित है ।

निर्णयः– **नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित।**

बिन्दु क्र.7 प्रस्ताव की कंडिका 1 एवं 2 में उल्लिखित छात्रों और अतिथिगणों के अतिरिक्त सीमित संख्या में अन्य गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया जाना तथा मीडिया कर्मियों को बुलाया जाना प्रस्तावित है जिसके लिये समुचित निमंत्रण पत्र की व्यवस्था विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के प्राध्यापकों एवं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों की समिति को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है । निमंत्रण पत्र की छपाई तथा उसकी स्क्रिप्ट एवं रंग संयोजन इत्यादि का निर्णय यही समिति करेगी निमंत्रण पत्र तैयार करने का कार्य नियमानुसार भाव–पत्र/खुली निविदा के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है ।

निर्णयः– **उपरोक्तानुसार प्रस्ताव मान्य किया गया तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बस्तर विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह हेतु मुद्रित आमंत्रण पत्र में बस्तर के लोक कला, संस्कृति, भित्तिचित्र आदि का समावेश हो।**

बिन्दु क्र.8. आयोजन दिवस में पंडाल एवं अन्य बैठक व्यवस्था के संबंध में माननीय कुलपति के संरक्षकत्व में तथा कुलसचिव की अध्यक्षता में उपकुलसचिव, सहायक कुलसचिव, लेखाधिकारी एवं विशेषकर्तव्यस्थ अधिकारी की समिति अन्य राज्य विश्वविद्यालयों में स्थापित परंपरा अनुसार निर्णय लेने के लिए अधिकृत किये जाये तथा वे, नियमानुसार भाव–पत्र/खुली निविदा के माध्यम से पंडाल इत्यादित की व्यवस्था के लिए अधिकृत किये जाये, प्रस्तावित है ।

निर्णयः– उपरोक्तानुसार प्रस्ताव मान्य किया गया। तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समारोह हेतु पण्डाल आदि की व्यवस्था पूर्व कार्यक्रमों की भांति डोम (गुम्बद) आकार का तैयार कराया जावे।

बिन्दु क्र.14. ज्ञातव्य है कि बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा अपनी स्थापना के समय से ही पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के विनियम (रेगुलेशन्स) यथावत स्वीकार किये है किन्तु पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के प्रावीण्यता प्राप्त छात्रों को उनके दान दाताओं द्वारा प्रदाय किये जाने वाले स्वर्ण पदको का बस्तर विश्वविद्यालय से कोई संबंध नहीं है । अतः बस्तर विश्वविद्यालय के विनियम में से उक्त स्वर्ण पदक प्रदाताओं संबंधी समस्त विनियम विलोपित किये जाने का प्रस्ताव किया जाता है । बस्तर विश्वविद्यालय के प्रावीण्यता प्राप्त एवं अर्हता प्राप्त छात्रों को दान दाताओं द्वारा स्वर्ण पदक प्रदाय किये जाने के यदि कोई प्रस्ताव प्राप्त हो तो उन्हें विश्वविद्यालय के विनियम में सम्मिलित किये जाने प्रस्ताव किया जाता है ।

निर्णयः— **उपरोक्तानुसार प्रस्ताव सर्वसम्मति से मान्य किया गया।**

बिन्दु क्र.16. दीक्षान्त समारोह सत्र 2013 के विषय में आकस्मिकता वश लिये जाने वाले निर्णयों हेतु माननीय कुलपति अंतिम रूप से निर्णायक एवं अधिकृत की जावे, प्रस्तावित ।

निर्णयः— **उपरोक्तानुसार प्रस्ताव सर्वसम्मति से मान्य किया गया।**

बिन्दु क्र.17. समाजशास्त्र अध्ययन मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव स्थायी समिति के अनुमोदनार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत ।

निर्णयः— उक्त संबंध में निर्णय लिया गया कि एम.ए. पूर्व (नियमित) में पांचों प्रश्न पत्र थ्योरी रखा जावे तथा एम.ए. अंतिम (नियमित) हेतु पंचम प्रश्न पत्र के रूप में आनुभाविक शोध प्रतिवेदन/लघुशोध प्रबंध ऑपशनल रखा जावे। एम.ए. पूर्व (नियमित) में जिन छात्रों ने न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये होंगे वे ही एम.ए. अंतिम वर्ष (नियमित) में ऐच्छिक पंचम प्रश्न पत्र ले सकेंगे।

बिन्दु क्र.18. समाज कार्य अध्ययनशाला द्वारा क्षेत्र अध्ययन कार्य के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तय नियमों का संदर्भ देते हुए कुछ अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा किये जा रहे क्षेत्र अध्ययन कार्य विवरण अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः— उपरोक्तानुसार प्रस्ताव सर्वसम्मति से मान्य किया गया तथा निर्णय लिया गया कि सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुए आंचलिक क्षेत्रों पर फील्ड वर्क करें तथा विशेष अनुमति के उपरांत ही बाहर जाकर फील्ड वर्क करें। तथा इस संबंध में संबंधित विभाग से विस्तृत कार्य योजना वित्त के संबंध में मंगा ली जावे।

विषय क्र. 04 — बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर में नियुक्ति विभिन्न तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि समाप्त करने के संबंध में।

विभागीय टीपः— बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर में नियुक्ति विभिन्न तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के द्वारा सफलतापूर्वक 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर ली गई है, संबंधित कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि समाप्त किया जाकर नियमानुसार वेतन वृद्धि की कार्यवाही की जा रही है। माननीया कार्यपरिषद के समक्ष सूचनार्थ सादर प्रस्तुत। (परिवीक्षा अवधि समाप्ति का आदेश की प्रति संलग्न है।)

विषय क्र. 05 — मुख्य परीक्षा 2013—14 हेतु रिजल्ट प्रोसेसिंग का कार्य पूर्व स्वीकृत दर के अनुरूप पुनः MICS भोपाल को प्रदाय करने के संबंध में।

विभागीय टीपः— विगत दो शैक्षणिक सत्रों के मुख्य परीक्षा के रिजल्ट प्रोसेसिंग का कार्य MICS भोपाल के द्वारा सफलतापूर्व किया गया है, अतः संबंधित फर्म को शैक्षणिक सत्र 2013—14 हेतु पूर्व स्वीकृत दर में पुनः रिजल्ट प्रोसेसिंग का कार्य दिया जाना प्रस्तावित है। कृपया निर्णय लेना चाहें।

विषय क्र. 06 — माननीय अध्यक्ष महोदया की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा।

17/1/13

कुलसचिव

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्र. 4308/ब.वि.वि./2013

जगदलपुर दिनांक, 17/01/2013

प्रतिलिपिः—

01. माननीय कुलपति महोदया, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर को सूचनार्थ।
02. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय डी.के.एस. भवन, रायपुर को सूचनार्थ।
03. कार्य परिषद के समस्त सम्माननीय सदस्यगणों को सूचनार्थ।
04. बस्तर विश्वविद्यालय के समस्त विभाग प्रमुखों को सूचनार्थ।

17/1/13

कुलसचिव

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)